FAMOUS MAHILA KALYAN SAMITI, BHIND (M.P)

Office : Behind The Kusum Bai Girls College, Bhind (m.p) – 477001
Project Location : H. No. 48, Ward No. 14 Housing Colony, Bhind (M.P)-477001

S.No. Date ....

!! वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021 !!

1. फेमस कल्याण समिति द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से वर्ष 2021 में 60 मानसिक दिव्यांग एवं बहू विकलांगों को नियमित विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

1. **परिचय –**

स्वैच्छिक संस्था 'फेमस महिला कल्याण समित, भिण्ड' की स्थापना वर्ष 1997–98 में की गई थी। संस्था का पंजीयन फर्म्स एण्ड सोसायटी, ग्वालियर चंबल संभाग द्वारा दिनांक 20.09.1990 को किया गया है, जिसका पंजीयन क्रंमाक 5943 है। संस्था को सामाजिक न्याय विभाग की गतिविधियों के लिए सामाजिक न्याय, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के ओदश क्रमांक/नि.क./6/238/2005/1420 दिनांक 20.05.2005 द्वारा विभागीय मान्यता प्रदान की गई है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–भिण्ड द्वारा दिनांक 12.02.2001 द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। निः शक्तजनों के लिए कार्य करने हेतु संस्था को धारा 51/2 के तहत पंजीकृत करवाया गया है, तथा संस्था द्वारा धारा 51/2 की पंजीकरण दिनांक 19.03.2021 को नवीनीकरण किया गया है, तथा दिनांक 18.03.2024 तक वैद्य रहेगा।

2. **संचालित गतिविधियां –**

संस्था सिलाई, कढाई, बुनाई पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, तथा विकलांग व्याक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि बेरोजगार स्वयं की आजीविका के लिए स्वरोजगार स्थापित कर सकें। विशेषतः महिलाओं एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिए कार्य किये जाते है। संस्था द्वारा निःशक्तजनों के अलावा भी गरीब एवं बेरोजगार स्थापित करने हेतु आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाता है ताकि बेरोजगार युवक अपना स्वयं का धंधा स्थापित कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

अकबर खाँ
सचिव
फेमस महिला कल्याण समिति
भिण्ड (म॰प्र॰)

3. <u>आगामी कार्यक्रम –</u>

फेमस महिला कल्याण समिति द्वारा भिण्ड जिले में निवासरत मानसिक दिव्यांग बहु विकलांग सेरेब्रल पाल्सी एवं ऑटिज्म बच्चों के लिए भिण्ड जिले में विशेष विद्यालय का संचालन करने जा रही है जिससे जिले के ग्रामीण आंचल में रहने वाले दिव्यांगो को विशेष शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके

4. <u>लाभान्वित हितग्राही –</u>

संस्था द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। संस्था द्वारा निःशक्तजनों को सिलाई कढाई में प्रशिक्षण देकर 530 निःशक्तजनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर आत्मनिर्भर बनाया गया है, जिनमें कई युवा अपना स्वयं का रोजगार तथा कई अन्य निजी प्रतिष्ठानों पर रोजगार प्राप्त कर अपना आजीविका चला रहे है।

5. <u>विशेष –</u>

संस्था जिले में महिलाओं एवं निःशक्तजनों को प्रशिक्षण देने वालजी भिण्ड जिले में एकमात्र संस्था है। संस्था की जिले में निःशक्तजनों के सर्वांगीण विकास के लिए मानव भक्ति बढाई जाकर और कार्यक्रम संचालित किए जायेंग।

6. <u>संस्था की वित्तीय स्थिति –</u>

संस्था की वित्तीय व्यवस्था दान, जनसहयोग तथा शासन से प्राप्त अनुदान से होती है।

अकबर खां

सचिव
फेमस महिला कल्याण समिति
भिण्ड (म॰प्र॰)